<u>मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना</u>

इस योजना अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग VI-VIII में नामांकित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु ₹ 700/– की दर से नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि से प्रत्येक छात्र–छात्रा को दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। किसी छात्र–छात्रा द्वारा अगर इन समाग्रियों का क्रय पहले ही कर लिया जाता है तो भी उन्हें पूरी राशि हस्तानन्तरित कर दी जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से संचालित है।